उत्तराखंड में लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

चर्चा में क्यों?

30 अगस्त, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान जानकारी दी कि उत्तराखंड में दो महीने के भीतर समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉमन सिविल कोड को लेकर गठित कमेटी अपना काम कर रही है। ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार जल्द ही इसका प्रारूप सार्वजनिक करेगी।
- गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि भाजपा सरकार आने पर वो उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। 23 मार्च को इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई थी।
- नया कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड स्वतंत्रता के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। हालाँकि, गोवा में भी यह कानून लागू है, लेकिन वहाँ स्वतंत्रता से पहले यह कानून बना था।
- समान नागरिक संहिता का अर्थ है- सभी नागरिकों के लिये एक समान कानून। किसी भी धर्म या जाति के लिये कोई अलग कानून नहीं होगा। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने के बाद सभी धर्म एक ही कानून का अनुसरण करेंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/uniform-civil-code-will-be-implemented-in-uttarakhand